न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2068–तीन/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 01–11–2011 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 170/अ–6/2010–11 अपील.

1– श्यामलाल तनय काशीराम रघुवंशी
2– रमेश सिंह तनय खुन्नीलाल रघुवंशी
दोनों नि0 ग्राम नारधा, तह0 खुरई जिला सागर
3– बलराम तनय खुन्नीलाल रघुवंशी
नि0 ग्राम कठैली, तह0 खुरई, जिला सागर

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– रामसेवक तनय रघुवीरसिंह
2– वीरनसिंह तनय रघुवीरसिंह
दोनों नि0 ग्राम नारधा, तह0 खुरई
जिला सागर,म0प्र0

— अनावेदकगण

श्री अनिल सिंह, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री चन्द्रभान सिंह, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28-8- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क0 170/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01–11–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नारधा स्थित भूमि कुल रकबा 3.05 हे0 एवं परासरी स्थित भूमि कुल रकबा 5.30 हे0 गुपालसिंह पिता रघुराजसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। अभिलिखित भूमिस्वामी गुपालसिंह की मृत्यु होने पर अनावेदक नाबालिग के पिता रघुवीरसिंह व्दारा गुपालसिंह व्दारा निष्पादित वसीयत के आधार पर ग्राम नारधा की कुल भूमि 2.25 हे0 तथा ग्राम परासरी की कुल भूमि 2.70 हे0 पर अनावेदकगण के नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय में मृत गुपालसिंह की विधवा तुलसाबाई व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार, खुरई ने अपने आदेश दिनांक 24–10–05 द्वारा वसीयत साक्षी वसीयतग्रहिता के नजदीकी रिश्तेदार होने और स्वतंत्र साक्षी नहीं होने से विश्वनीय नहीं माना। वसीयतकर्त्ता को प्रश्नाधीन भूमि वसीयत करने की अधिकारिता है, इस पर भी प्रश्नचिन्ह है। अतः तहसीलदार व्दारा मृतक के वारिसान के आधार पर तुलसाबाई के नामान्तरण के आदेश दिये । नायब तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 29–01–07 में यह अंकित किया कि –

"प्रकरण अधिकारी महोदय से अपील से वापस प्राप्त। उभय पक्ष तलब हों।"

नायब तहसीलदार व्दारा तुलसाबाई की साक्ष्य लेने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 18–6–07 व्दारा प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदकगण के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने हेतु अनावेदकों व्दारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय ने दिनांक 10–3–10 को प्रकरण पंजीबध्द कर अपने आदेश दिनांक 17–06–2010 व्दारा आदेश दिनांक 18–6–07 का अमल करने के आदेश दिये।

3/ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 18–6–07 एवं 17–06–10 के विरूध्द आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की।

अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–11–10 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण ना तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे और ना ही विवादित भूमि में उनका कोई अधिकार था और ना ही तुलसाबाई के जीवित रहते आपत्ति प्रस्तुत करने के अधिकारी थे। अतः उन्होंने अपील खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 01–11–2011 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अभिलिखित भूमिस्वामी गुपालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21–03–04 को हुआ तथा उनकी पत्नि तुलसाबाई का स्वर्गवास दिनांक 30–01–2010 को हुआ। तुलसाबाई की मृत्यु के पश्चात अनावेदकगण व्दारा आदेश दिनांक 18–6–07 का अमल राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दिये गये हैं। उनका तर्क है कि तुलसाबाई के फर्जी कथन के आधार पर नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक 18–6–07 को वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित होने पर ही नामान्तरण किया जा सकता था। उनका इस संबंध में यह भी तर्क है कि वसीयत में उल्लखित भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों पर भी वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। वसीयत के आधार पर नामान्तरण के समय मृत गुपालसिंह के अन्य भाई काशीराम, खुन्नीलाल व खुमानसिंह के वैध वारिसान को प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के आधार सुना जाना आवश्यक था। गुपालसिंह की बेवा पत्नि तुलसाबाई के जीवनकाल में वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित हुआ बिना नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। आवेदकगण को नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उनके व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो

जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण मृत गुपालसिंह के भाई के वारिसान है, इसलिये हितबध्द पक्षकार हैं और उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करने की अधिकारिता है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदकगण ने लिखित एवं मौखिक तर्कों में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे और ना ही वादग्रस्त भूमि से उनका कोई संबंध है। स्व. गुपालसिंह लाऔलाद थे। गुपालसिंह की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी उनकी बेवा पत्नि तुलसाबाई थी और उसके व्दारा अपनी साक्ष्य में वसीयत पर स्वीकारोक्ति दी गयी है। मृतक की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से मृतक के भाई व्दितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से मृतक के भाईयों या उनके वारिसान को नामान्तरण के पूर्व सुनवायी का अवसर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त परिवार की भूमि नहीं है। आवेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इसलिये उन्हें अपील करने की अधिकारिता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि गुपालसिंह की मृत्यु के पश्चात आवेदकगण ने नामान्तरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी और आवेदकगण ने समयावधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार कर विधिसम्मत आदेश पारित किये गये हैं। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 11/अ–6/05–06 के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदकगण के पिता रघुवीरसिंह व्दारा मृत गुपालसिंह व्दारा निष्पादित वसीयत के आधार पर ग्राम परासरी की कुल रकबा 2.70 हे. तथा ग्राम नारधा की कुल भूमि 2.25 हे0 पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था। पटवारी व्दारा प्रस्तुत रिपोर्ट/प्रतिवेदन तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 29–31 पर है जिसमें मृत गोपालसिंह के

नाम ग्राम नारधा में कुल किता 7 कुल रकबा 3.05 हे0 तथा ग्राम परासरी में कुल किता 4 कुल रकबा 5.30 हे0 भूमि अभिलेख में दर्ज होना प्रतिवेदित किया है। प्रतिवेदन में गोपालसिंह व्दारा ग्राम नारधा की कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 हे. रामसेवक ना0ब0 पिता रघुवीरसिंह तथा ग्राम परासरी की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.70 हे0 वीरन ना0बा0 पिता रघुवीरसिंह के नाम वसीयत लिखना अंकित किया है। पटवारी व्दारा प्रतिवेदन में सजरा खानदान भी अंकित किया है जिसके अनुसार मृतक गोपालसिंह के भाई काशीराम का पुत्र श्यामलाल तथा मृत सुन्नीलाल के पुत्र रमेशसिंह एवं बलराम तथा खुमानसिंह के पुत्र रघुवीरसिंह दर्शाये हैं। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 41 पर तुलसाबाई का निशानी अंगूठा लगा उत्तर दिनांक 8–11–04 संलग्न है जिस पर अनावेदक अधिवक्ता तुलसाबाई के अधिवक्ता के भी हस्ताक्षर है जिसमें गुपालसिंह व्दारा अपने स्वेच्छा से आवेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा लिखना और उसके आधार पर नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना दर्शाया है, किन्तु वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित नहीं होने व वसीयत करने की अधिकारिता सिध्द नहीं होने से तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 24–10–05 व्दारा वारिसान हक में मृत गुपालसिंह की विधवा तुलसाबाई का नामान्तरण गुपालसिंह के स्थान पर करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने पर नायब तहसीलदार व्दारा प्रकरण में इश्तहार जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित नहीं की गयी। नायब तहसीलदार ने तुलसाबाई के कथन के आधार पर आदेश दिनांक 18–06–07 पारित कर वसीयत के आधार पर मृत गुपालसिंह की सम्पूर्ण भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण किया गया है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 47–48 पर उपलब्ध तुलसाबाई के कथन दिनांक 30–05–07 पर तुलसाबाई का निशानी अंगूठा है। आवेदकगण/गैरनिगरानीकर्त्ता व्दारा पूर्व में भी दिनांक 08–11–04 को तुलसाबाई का निशानी अंगूठा लगा उत्तर अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत कर नामान्तरण का प्रयास किया गया, इस कारण कथन पर तुलसाबाई का निशानी

अंगूठा लगा होने के आधार पर किया गया नामान्तरण विधिसंगत होना मान्य नहीं किया जा सकता। वसीयत के आधार पर नामान्तरण तभी किया जा सकता है, जब वसीयत साक्ष्य से पूर्णतः असंदिग्ध प्रमाणित हों तथा वसीयतकर्त्ता को वसीयत करने की पात्रता होना साक्ष्य से प्रमाणित की जाय। वसीयत के आधार पर नामान्तरण वसीयत की गयी भूमि पर ही साक्ष्य से सिध्द होने पर की जा सकती थी, किन्तु नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–6–07 व्दारा गुपालसिंह व्दारा निष्पादित की गयी वसीयत के आधार पर वसीयत की गयी ग्राम नारधा की भूमि कुल रकबा 2.25 हे. तथा ग्राम परासरी की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.70 हे0 के स्थान पर मृत गुपालसिंह के सम्पूर्ण भूमि अर्थात ग्राम नारधा की भूमि रकबा 3.05 हे0 तथा ग्राम परासरी की भूमि रकबा 5.30 हे0 पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं जो विधि विपरीत हैं, किन्तु अपीलीय न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। गुपालसिंह एवं तुलसाबाई लाओलाद फोत हुए हैं, इस कारण आवेदकगण मृत गुपालसिंह के भाई के विधिक उत्तराधिकारी होने से नामान्तरण प्रकरण में हितग्राही पक्षकार हैं और उन्हें हितग्राही पक्षकार होने से नामान्तरण आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में अपील करने की अधिकारिता है। नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 65/अ–6/2009–10 में पटवारी हल्का 61/58 की मौजा नारधा एवं परासरी की फोती नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस आधार पर नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक 23–4–10 को प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 18–06–07 की जानकारी हल्का पटवारी तक को नहीं थी, इस कारण आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होना न्यायहित में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदकगण व्दारा आदेश की जानकारी के दिनांक से समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 01–11–11, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–11–10 तथा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 18–6–07 एवं 17–6–10 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष एवं अन्य सभी हितग्राहियों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करते हुए नामान्तरण आदेश पारित करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0